



राजि. म. दल. उम्प./एन. पी. 898

साइसंस न० उम्प० पी०-41

साइसंस ट. पोस्ट एंड कन्सिडरेशन चार्ज

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 7 फरवरी, 1998

माघ 18, 1919 अक सम्यत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 292/सतह-वि०-1-1 (क)/37-1997

लखनऊ, 7 फरवरी, 1998

### अधिसूचना

1वाँ खण्ड

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आवकारी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 6 फरवरी, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाओं इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आवकारी (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रांथ आवकारी अधिनियम, 1910 का अप्रति संशोधन करने के लिये

अधिनियम

चूंकि राज्य सरकार ने अप्रैल, 1983 में नियत फीस के अग्रताम पर प्रपत्र वि० म०-2 में भारत निमित्त विदेशी मदिरा की बोक विक्री के लिये 31 मार्च, 1984 तक विधिभाज्य लाइसेंस स्वीकृत किये;

और चूंकि अन्य बातों के साथ लाइसेंस की शर्तों में यह व्यवस्था थी कि लाइसेंसधारी को भारत निमित्त विदेशी मदिरा और विपर की विक्री पर नियमों के अनुसार विहित निर्धारित फीस देनी होगी;

और चूंकि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार ने 25 मई, 1983 को अधि-सूचना, लाइसेंसधारियों से उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर बिक्री के आधार पर निर्धारित फीस देने की अपेक्षा करते हुए, जारी की;

और चूंकि उक्त अधिसूचना के अनुसरण में लाइसेंसधारियों से मांग की गई जिसे उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया;

और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने लाइसेंसधारियों के मामले की स्वीकार क्रिया और अन्य बातों के साथ अभिनिर्धारित किया कि 25 मई, 1983 के पूर्व दिये गये विशेषाधिकारों पर अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं होगा;

और चूंकि राज्यपाल द्वारा 30 मई, 1984 को प्रस्तापित उत्तर प्रदेश आवकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1984) द्वारा संयुक्त प्रान्त आवकारी अधिनियम, 1910 की धारा 77 में एक प्रतिस्थापित खण्ड बढ़ाकर इस प्राण्य का संशोधन किया गया था कि अधिसूचना दिनांक 25 मई, 1983, पहली अप्रैल, 1983 से प्रभावी होगी और सर्वे से प्रभावी समझी जायगी;

और चूंकि उक्त अध्यादेश संख्या 12 सन् 1984 को उत्तर प्रदेश आवकारी (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1984) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था;

और चूंकि धारा 77 के संशोधित उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना दिनांक 25 मई, 1983 को पहली अप्रैल, 1983 से प्रभावी बनाया गया था;

और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दाखिल की गयी अपीलें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 सितम्बर, 1996 को खारिज कर दी गयीं।

और चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के समस्त राज्य सरकार द्वारा एक पुनर्विचारन याचिका दाखिल की गयी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 जनवरी, 1997 को खारिज कर दिया गया।

और चूंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 25 मई, 1983 के आधार पर पहले ही पर्याप्त धनराशि निर्धारित फीस के रूप में वसूल की जा चुकी है;

और चूंकि लाइसेंसधारियों ने ग्राहकों से वसूल किए गये मूल्य में निर्धारित फीस का समायोजन करके उसकी प्रतिपूर्ति कर ली है, इसलिए लोकहित में लाइसेंसधारियों को अनुचित समृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती है;

और चूंकि यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा लाइसेंसधारियों से की गयी निर्धारित फीस की उक्त वसुली की विधिमान्य किया जाय;

अतएव अब भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष से निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाया है :—

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवकारी (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा।

(2) यह 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्राप्त  
अधिनियम संख्या 4  
सन् 1910 की  
धारा 30 का  
संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आवकारी अधिनियम, 1910 को जिसे प्रागे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 30 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और 1 अप्रैल, 1983 को बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

“(3) विदेशी धाराब के थोक विक्रेताओं द्वारा 1 अप्रैल, 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये धारा 24-क के अधीन दिये गए लाइसेंस के लिए नियत धनराशि के अलावा लाइसेंस के अधीन विक्रय के आधार पर निर्धारित धनराशि जिसे निर्धारित फीस कहा गया है, समी प्रकार की स्प्रिट, वाइन, शराब और कार्डियल की प्रति मान्य क्वार्ट बोतल पर पांच रुपये की दर पर और वियर, स्टाउट और अन्य किण्वित शराब की प्रति मान्य क्वार्ट बोतल पर साठ पैसे की दर पर देय होगी।”

विधिमान्यकरण  
और पारिणामिक  
संपन्ध

3—किसी संविदा या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गई किसी प्रतिकूल बात, या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से आवकारी आयुक्त द्वारा, 1 अप्रैल, 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये धारा 24-क के अधीन दिये गये लाइसेंस के लिये किसी नियत धनराशि के प्रतिग्रहण, के होते हुए भी, लाइसेंस-धारियों से, मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) में उल्लिखित दरों पर उक्त नियत धनराशि से अधिक, वसूल की गयी निर्धारित फीस उक्त उपधारा के अधीन विधिमान्य रूप से वसूल की गई समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध समी सारवांत समय

हर प्रकार के, और कोई भी लाइसेंसधारक किसी निर्धारित क्षेत्र की बिक्री का हस्ताक्षर नहीं होगा और यदि किसी लाइसेंसधारक ने इनके निर्धारित क्षेत्र का भुगतान न किया हो तो उसे उससे वसूल किया जाएगा।

4--(1) उत्तर प्रदेश अधिसूचना (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्वारा निरस्त निरस्त कर किया जाता है। अपवाद

(2) ऐसे निरस्त के होते हुए भी, उपबन्ध (1) में निश्चित अध्यादेश द्वारा अध्यादेशित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा अध्यादेशित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अन्तर्गत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी माने इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सार्वजनिक समय पर प्रवृत्त थे।

ब्रज से,  
गणेश शंकर पाण्डेय,  
विशेष सचिव।

No. 292 (2)/XVII-V-1-1(KA)-37-1997

Dated Lucknow, February 7, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Aabkari (Sanshodhan) Adhihiyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhihiyam Sankhya 7 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 6, 1998.

**THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1998**

(U. P. Act No. 7 of 1998)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

Further to amend the United Provinces Excise Act, 1910

WHEREAS the State Government in April, 1983 granted licences valid up to March 31, 1984 for wholesale vend of Indian made foreign liquor in form F. L. 2 on payment of fixed fee ;

AND WHEREAS the conditions of licence *inter alia* provided that the licensee had to pay prescribed assessed fee on the sale of Indian made foreign liquor and beer according to rules ;

AND WHEREAS in accordance with the conditions of licence the State Government issued notification dated May 25, 1983 requiring the licensees to pay fee assessed on the basis of sales at the rates specified therein ;

AND WHEREAS pursuant to the said notification demands were made upon the licensees which they challenged before the Hon'ble High Court ;

AND WHEREAS the Hon'ble High Court accepted the case of the licensees and *inter alia* held that the notification will have no effect on the privileges granted before May 25, 1983 ;

AND WHEREAS by the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1984 (U. P. Ordinance no. 12 of 1984) promulgated by the Governor on May 30, 1984 section 77 of the U. P. Excise Act, 1910 was amended by inserting a proviso to the effect that notification dated May 25, 1983 shall have effect and be deemed always to have effect from April 1, 1983 ;

AND WHEREAS the said Ordinance no. 12 of 1984 was replaced by Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1984 (U. P. Act no. 23 of 1984) ;

AND WHEREAS in view of the amended provisions of section 77 the notification dated May 25, 1983 was made effective with effect from April 1, 1983.

AND WHEREAS the appeals filed by the State Government against the judgement and order of the Hon'ble High Court were dismissed by the Hon'ble Supreme Court on September 17, 1996 ;

AND WHEREAS a review petition was filed by the State Government before the Hon'ble Supreme Court was dismissed by the Hon'ble Supreme Court on January 28, 1997;

AND WHEREAS substantial sums as assessed fee, had already been realized by the State Government on the basis of the said notification dated May 25, 1983;

AND WHEREAS licensees have made good the said assessed fee by adjusting it in their prices realized from the customers, therefore in public interest the licensees can not be allowed undue enrichment;

AND WHEREAS it is necessary to validate the said realization of assessed fee by the State Government from the licensees;

NOW, THEREFORE, IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 1, 1983.

Amendment of section 30 of U.P. Act no. IV of 1910

2. In section 30 of the United Provinces Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall deemed to have been inserted on April 1, 1983, namely:—

“(3) For the financial year commencing on April 1, 1983 apart from the sum fixed for grant of licence under section 24-A, the sum assessed, called as assessed fee, on the basis of sales under the licence shall be payable, at the rate of rupees five per reputed quart bottle of all kinds of spirit, wine, liquor and Cordial and at the rate of paise sixty per reputed quart bottle of beer, stout and other fermented liquors by the wholesale vendors of foreign liquor.

Validation and consequential provision

3. Notwithstanding anything to the contrary contained in any contract, judgement, decree or order of any Court or acceptance of any fixed sum for grant of licence under section 24-A by the State Government or on its behalf by the Excise Commissioner for the financial year commencing on April 1, 1983, the assessed, fee realized, over and above the said fixed sum, from the licensees at the rates mentioned in sub-section (3) of section 30 of the principal Act shall be deemed to have been validly realized under the said sub-section as if the provisions of this Act were in force at all material times and no licensee shall be entitled to refund of such fee and if any licensee has not paid the said assessed fee the same shall be recoverable from him.

Repeal and savings

4. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
G. S. PANDEY,  
Vishesh Sachiv.